राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 731वी बैठक दिनांक 08.06.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 731वी बैठक दिनांक 08.06.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
A. SEAC से अनुशंसित प्रकरण					
1.	9185/2022	1(a)	लाईमस्टोन डोलोमाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
2.	9184/2022	1(a)	लाईमस्टोन खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
3.	9187/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
4.	9183/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
5.	9186/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
6.	9188/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
7.	9182/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	9189/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9191/2022	1(a)	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	9192/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
11.	9194/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
B. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा –					
12.	9128/2022	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	संशोधन स्वीकृत
13.	9052/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्थगित
14.	8992/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	6561/2019	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	9037/2022	1(a)	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	3514/2015	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
18.	9195/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
19.	7669/2019	1(a)	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
20.	9176/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

21.	9181/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
22.	7997/2020	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	संशोधन स्वीकृत
23.	7947/2020	1(a)	पत्थर खदान	निरस्त पर्यावरणीय स्वीकृति	पुर्नपरीक्षण
24.	7322/2020	1(a)	लेटेराईट खदान	निरस्त पर्यावरणीय स्वीकृति	पुर्नपरीक्षण
25.	9116/2022	8(a)	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	7819/2020	5(f)	कैमिकल इण्डस्ट्रीज	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्थगित
27.	8996/2022	7(da)	बायोमेडिकल वेस्ट	For ToR	ToR निरस्त

1. **प्रकरण कमांक 9185/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मैहर ट्रडर्स, बंगला न. 30 फेज–02, श्री गोल्डेन सिटी जाटखेड़ी होशंगाबाद रोड, हुजूर , जिला भेापाल (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन ,डोलोमाट एवं रिजेक्ट स्टोन खदान, उत्पादन क्षमता 3.0 लाख टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 196/1, 196/2, 197, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204 ,205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250 रकबा 26.224 हेक्टेयर, ग्राम तमोरिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(iv) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(v) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(vi) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(vii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(viii) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notification of MoeF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitably incorporate in EIA studies..

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण कमांक 9184/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हुकुमचन्द्र स्टोन लाईम कम्पनी, नट–बोल्ट हाउस, नदी पार, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान, उत्पादन क्षमता (लाईम स्टोन 23760 टी.पी.ए. ओ.बी.15840 टी.पी.ए.) ख़सरा नं. 17, 18/2 रकबा 4.046 हेक्टेयर, ग्राम भटूरा , तहसील मैहर ,जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(iv) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(v) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(vi) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(vii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(viii) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notification of MoeF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitably incorporate in EIA studies..

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण कमांक 9187/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मारवाड़ी सेल्स प्रा. लि. जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 584, रकबा 2.750 हेक्टेयर, ग्राम टिकरी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notification of MoeF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitably incorporate in EIA studies.

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन पर्यावरण स्वीकृति हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय पत्राचार का पूर्ण पता फार्म–2 व संलग्न दस्तावेजों में अंकित किया जावे।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण कमांक 9183/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री जकीउददीन काजी, निवासी –जूना बाजार तहसील अलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 172 रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम माल्या, तहसील अलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notification of MoeF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitably incorporate in EIA studies.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण कमांक 9186/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री वशीम खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी– दरगाह मोहल्ला, तहसील अलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 19950 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 385/2/2, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम जीवनगढ़, तहसील अलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notification of MoEF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitably incorporate in EIA studies.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. प्रकरण क्रमांक 9188/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जे.पी. माइन्स एवं मिनरल्स, 704 सत्यम टावर, सिटी सेन्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 75852 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1, 4, 7, 52 रकबा 3.390 हेक्टेयर, ग्राम बिलारा, तहसील तानसेन, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notification of MoEF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitably incorporate in EIA studies.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण कमांक 9182/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री गोविंद प्रसाद परौहा आत्मज श्री शिवनाथ परौहा, निवासी – ग्राम लमतरा, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1381/1 रकबा 3.0 हेक्टेयर, ग्राम डूगरगवां, तहसील शाहगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर दोनो ओर नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 3600 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम डूगरगवां के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संबंधित पी.एच.सी. चिकित्सक से परामर्श कर 01 ई.सी.जी. मशीन रिपोर्ट के साथ (Medonics Company), 01 रेडिएन्ट वार्मर

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(BLT Monitoring Company), 02 स्ट्रेचर (Cosmocare Company), 02 व्हील चेयर (Arcatron Company), 01 रेफ्रीजरेटर सैडो (LG Company), 01 Shadowless led Lamp for OT (Surgicoin Company), एवं 01 ए.सी., 1.5 टन (Godrej) चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री गोविंद प्रसाद परौहा आत्मज श्री शिवनाथ परौहा, निवासी – ग्राम लमतरा, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1381/1 रकबा 3.0 हेक्टेयर, ग्राम डूगरगवां, तहसील शाहगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना का आदेश क. 279 दिनांक 08.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.03.2032 तक मान्य रहेगी।

8. प्रकरण कमांक 9189/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव चौधरी आत्मज श्री वंशीलाल चौधरी निवासी –26 पिपलियाहाना इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2257/2 रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम दतोदा, तहसील महू जिला इन्दौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले जलीय निकाय से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 100 मीटर नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र मे विद्यमान 09–10 बृक्षो को काटा नही जायेगा एवं इनका रख–रखाव किया जाये तथा लीज के दक्षिणी–पूर्वी भाग में पेड़ो को बचाने के लिए नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iii) वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2430 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दतोदा संबंधित पी.एच.सी. चिकित्सक से परामर्श कर 02 फोल्डेबल व्हील चेयर्स उपलब्ध कराई प्रदान किया जायें।
- ग्राम दतोदा के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास विभाग से परामर्श कर भोजन बनाने, खाने एवं रखने हेतु बर्तन एवं बच्चो के लिए खिलौने प्रदान कियो जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव चौधरी आत्मज श्री वंशी लाल चौधरी निवासी –26 पिपलियाहाना इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2257/2 रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम दतोदा, तहसील महू जिला इन्दौर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर का पत्र क. 883 दिनांक 11.04.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.04.2032 तक मान्य रहेगी।

9. प्रकरण कमांक 9191/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री रामकलेश आत्मज श्री श्यामलाल कोल निवासी ग्राम कुलगवां मड़ैइन, तहसील गुनौर ,जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा फर्सी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 30, 31, 32, 33 रकबा 1.670 हेक्टेयर, ग्राम जैतूपुरा, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(i) प्रस्तावित खदान क्षेत्र वन क्षेत्र से 250 मीटर की दूरी के अंदर (11मीटर) स्थित है। संभागीय आयुक्त सागर की अध्यक्षता मे गठित समिति बैठक दिनांक 04/02/22 द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार वन क्षेत्र से 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जाये तथा वन मण्डलाधिकारी के निर्देशन मे तार फेन्सिंग किया जाये, एवं वन भूमि मे ओवरवर्डन इकटठा न किया जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं वन विभागके अमले की उपस्थिति मे सीमांकन करा कर कंक्रीट के पक्के मुनारे वनाये जाये तथा सी.सी.टी.वी कैमरे लगाये जाये एवं कमसे कम 15 दिवस की रिकार्डिग रखी जायें

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र मे विद्यमान 07–10 वृक्षो को काटा नही जायेगा एवं उनका रख–रखाव किया जाये।

(iii) वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2010 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम जैतूपुरा के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास विभाग से परामर्श कर खाना बनाने, खाना परोसने, बच्चो के खाना खाने एवं रखने हेतु बर्तन एवं बच्चो के लिए खिलौने के साथ –साथ 01 वर्ष तक पोषण अहार प्रदान कियो जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री रामकलेश आत्मज श्री श्यामलाल कोल निवासी कुलगवां मड़ैइन, तहसील गुनौर ,जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 30, 31, 32, 33 रकबा 1.670 हेक्टेयर, ग्राम जैतपुरा, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना का आदेश क. 360 दिनांक 24.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.03.2032 तक मान्य रहेगी।

10. प्रकरण कमांक 9192/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री गोरधन भयडिया आत्मज श्री भरत सिंह भयडिया निवासी ग्राम परतली, तहसील राणापुर ,जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 52 रकबा 1.80 हेक्टेयर, ग्राम परतली, तहसील राणापुर जिला झाबुआ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

SEAC की अनुशंसा अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 50 मीटर पर पक्का रोड एवं पश्चिम दिशा मे 10 मीटर एवं 12 मीटर पर कच्चा रोड होने का उल्लेख किया गया है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

अतः परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी के स्पष्टीकरण हेतु आगामी SEIAA बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

11. **प्रकरण क्रमांक 9194/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र सिंह आत्मज श्री मंगल सिंह निवासी ग्राम सागौनी गुरू, तहसील जैसीनगर ,जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14022 घनगीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 236/1 , 236/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम सत्ताढाना, तहसील जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र **सत्ताढाना** संबंधित पी.एच.सी. चिकित्सक से परामर्श कर 01 रेडिएन्ट वार्मर (BLT Monitoring Company), कास चार्ट (Inline Company) चिकित्सीय उपकरण तथा 01 रेफ्रीजरेटर (LG Company), एवं 01 ए.सी., 1.5 टन (Godrej Company) प्रदान किये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना श्री शैलेन्द्र सिंह आत्मज श्री मंगल सिंह निवासी ग्राम सागौनी गुरू, तहसील जैसीननगर ,जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14022 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 236/1 , 236/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम सत्ताढाना, तहसील जैसीनगर जिला सागर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर का पत्र क्र. 1150 दिनांक 30.07.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.07.2031 तक मान्य रहेगी।

B. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा –

12. प्रकरण क्र. 9128/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सिद्धीदात्री मिनरल्स प्रा.लि., शास्त्रीनगर, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 996 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं सेलेबल वेस्ट 6972 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.260 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 470, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 471/5, 471/1283, 472/1, 473/2, 472/3, 472/4, 472/5, 473/1/1, 473/1/2, 473/2, 491, 492, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 499/1, 499/2, 500/1, 500/2, 500/1/1, ग्राम नेबूहा, तहसील मझौली, जिला सीधी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEIAA की 724वी बैठक दिनांक 17.05.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 23.05.2022 द्वारा SEIAA द्वारा अधिरोपित शर्त क्र. i में हाईटेंशन लाईन से 200 मीटर के स्थान पर 50 मीटर किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में SEIAA द्वारा 728वी बैठक दिनांक 27.05.2022 में परियोजना प्रस्तावक को आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होने का लेख किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा के साथ उक्त शर्त के संबंध में **SEIAA** समिति के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आवेदन व स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए उक्त प्रकरण में **SEIAA** की 724वी बैठक दिनांक 17.05.2022 की शर्त क्र. I हाईटेशन लाईन से 200 मीटर के स्थान पर संशोधन करते हुए पूर्व निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुरूप 50मीटर नो माईनिंग जोन क्षेत्र को हरित क्षेत्र विकसित किए जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है किया जाता है। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. प्रकरण कमांक 9052/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्रेम देवी योगी पत्नि स्व. श्री दयाराम योगी, निवासी बानपुर दरवाजा, शंकर जी के मंदिर के सामने, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 29/5/3, रकबा 1.70 हेक्टेयर, ग्राम केशरमढ़, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 722वी बैठक दिनांक 07.05.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 20.04.2022 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने एवं प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार एसीरिज इन्वायरोटेक इण्डिया प्रा.लि., नोयडा (श्री रामविशाल शुक्ला) द्वारा प्रकरण में प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार 120 मीटर की दूरी पर बांध एवं 140 मीटर पर पक्की सड़क होना परिलक्षित है। अतः उक्त प्रस्तावित खदान में खनन कार्य एवं ब्लास्टिंग होने से बांध को कोई क्षति तो कारित नहीं होगी के संबंध में कलेक्टर, टीकमगढ़ से 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ द्वारा पत्र क्र. 3521 दिनांक 30.05.2022 माध्यम से SEIAA द्वारा चाही गई उक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ द्वारा पत्र क्र. 3521 दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

उक्त प्रकरण में मानसून के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों में से काटे जाने वाले 07 वृक्षों के एवज में 70 पौधों का रोपण किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय फोटोग्राफ अक्षांश देशांश सहित 15 दिवस में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण कमांक 8992/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी आत्मज श्री जगजीवन प्रसाद द्विवेदी, निवासी ग्राम बरहट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 303/1, ग्राम पनगड़ीकंला, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 719वी बैठक दिनांक 21.04.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:—

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 710वीं बैठक दिनांक 08.03.2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:—

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के एकल प्रमाण पत्र क्र. 40 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में प्राकृतिक नाला, मानव बसाहट एवं रोड़ नहीं होना बताया गया है। अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार उत्तर दिशा में प्राकृतिक नाला, दक्षिण पश्चिम दिशा में मानव बसाहट एवं दक्षिण दिशा में लीज क्षेत्र से लगा हुआ पक्का रोड़ परिलक्षित है एवं दो खदानें के अतिरिक्त अन्य खदाने भी परिलक्षित हो रही है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसे मान्य करने पर न्यूनतम उत्खखन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति होना परिलक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा जिला कलेक्टर रीवा से 500 मीटर की परिधि में स्थित मानव बसाहट, रोड एवं अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी के संबंध में 07 दिवस में स्पष्ट स्थिति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार कलेक्टर रीवा से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक सिया कार्यालय मे आप्राप्त है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रीवा द्वारा पत्र क्र. 1998 दिनांक 23.05.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा चाही गई उपरोक्त जानकारी प्राप्त हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रीवा द्वारा पत्र क्र. 1998 दिनांक 23.05.2022 प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Rclist कर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 553वी बैठक दिनांक 22.02.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एंव स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम पनगड़ीकला के आंगनबाडी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से पूरक पोषण आहार वितरित किया जाये।
- ग्राम पनगड़ीकला में प्रत्येक वर्ष ग्रामवासियों की सामान्य चिकिसा शिविर का आयोजन किया जाये एवं औषधि वितरित की जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम पनगड़ीकला में 200 पौधे (इमली, आवला, हर्रा, बहेडा, सीताफल, अमरूद, मुनगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों के अंकुर योजना के तहत वितरित किये जायें

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी आत्मज श्री जगजीवन प्रसाद द्विवेदी, निवासी ग्राम बरहट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 303/1, ग्राम पनगड़ीकला, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क. 5947 दिनांक 12.10.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.10.2031 तक मान्य रहेगी।

15. प्रकरण कमांक 6561/2019 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अन्तरा माईन्स एण्ड मिनरल्स, श्रीमती पुष्पा परमार, ग्राम चैनपुरा, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 48500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 550, 552, 577, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम मानपुर, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 718वी बैठक दिनांक 12.04.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 563वी बैठक दिनांक 04.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 563वी बैठक दिनांक 04.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खदान क्षेत्र के अंदर दो सरफेस ड्रेन एवं जल रोकने की संरचना परिलक्षित हो रही है। अतः उपरोक्त प्रकरण में पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत जिला खनिज अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से 15 दिवस में अभिमत एवं अनापत्ति प्राप्त की जाये तथा प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला झाबुआ का पत्र क्र. 165 दिनांक 10.01.2018 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।

2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) झाबुआ का पत्र क. 973 दिनांक 03.08.2018 एवं पत्र क्र. 1204 दिनांक 17.09.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक कुल जल की मात्रा 12.4 किलो लीटर प्रतिदिन है (हरित पट्टी विकास, धूल धमन एवं पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से की जायेगी।

4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 4800 पेड़ बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, गैर खनन क्षेत्र इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 20.07.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम मानपुर, तहसील थांदला, जिला झाबुआ में अपर कलेक्टर, झाबुआ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) झाबुआ द्वारा ई–मेल दिनांक 05.06.2022 द्वारा पत्र क्र. 602 दिनांक 25.05.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा चाही गई उपरोक्त जानकारी प्राप्त हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) झाबुआ द्वारा पत्र क्र. 602 दिनांक 25.05.2022 **द्वारा** प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 563वी बैठक दिनांक 04.04.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर एवं सरफेस ड्रेन/प्राकृतिक नाले से 50 मीटर तथा खदान के अंदर पूर्व–उत्तर दिशा में मौजूद जल रोकने वाली संरचना से 100 मीटर प्रस्तावित खदान तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VI. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4800 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एंव स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम मानपुर के शासकीय प्राथमिक स्कूल के पास की सड़क (500 मीटर लम्बी x 3.5 मीटर चौड़ी) की मरम्मत की जाये एवं उसका रखरखाव किया जायें।
- ग्राम मानपुर के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 50 बेन्च, 20 कुर्सियां एवं 02 ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराये जायें।
- ग्राम मानपुर की आंगनबाड़ी में महिला बाल विकास के परामर्श से तीन वर्ष तक पोषण आहार वितरित किया जाये।
- ग्राम मानपुर के 500 लोगो हेतु वर्ष में दो बार चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अन्तरा माईन्स एण्ड मिनरल्स, श्रीमती पुष्पा परमार, ग्राम चैनपुरा, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 48500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 550, 552, 577, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम मानपुर, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्र. 973 दिनांक 03.08.2018 एवं पत्र क्र. 377 दिनांक 25.03.2022 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.08.2028 तक मान्य रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16. प्रकरण कमांक 9037/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री रंजीत सिंह राजपूत आत्मज श्री गुलाब सिंह राजपूत, निवासी ग्राम जेरई, तहसील एवं जिला सागर (म.प्र.) फर्शी पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2714 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 181/2, 181/3, रकबा 1.150 हेक्टेयर, ग्राम रतनपुर, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 713वी बैठक दिनांक 23.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 557वी बैठक दिनांक 03.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 557वी बैठक दिनांक 03.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने होना परिलक्षित है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिला खनिज अधिकारी, सागर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर द्वारा ई–मेल दिनांक 06.06.2022 द्वारा पत्र क्र. 762 दिनांक 25.04.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा चाही गई उपरोक्त जानकारी प्राप्त हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर द्वारा पत्र क्र. 762 दिनांक 25.04.2022 द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 557वी बैठक दिनांक 03.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1400 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एंव स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम रतनपुर के आंगनबाडी केन्द्र महिला बाल विकास के परामर्श से 06 माह तक पोषण आहार वितरित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री रंजीत सिंह राजपूत आत्मज श्री गुलाब सिंह राजपूत, निवासी ग्राम जेरई, तहसील एवं जिला सागर (म.प्र.) फर्शी पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2714 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 181/2, 181/3, रकबा 1.150 हेक्टेयर, ग्राम रतनपुर, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्र. 979 दिनांक 02.07.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.07.2031 तक मान्य रहेगी।

17. प्रकरण क्रमांक 3415/2015 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राज स्टोन क्रेशर, श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी– ग्राम बरगवां, पोस्ट डागा, जिला सिंगरौली (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.86 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 16615 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 53, 54, ग्राम गडरिया, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, उदित इन्फ्रा वर्ल्ड प्रा. लि., निदेशक श्री मयंक राय, निवासी– व्हाईट हाउस, अर्जुन नगर रीवा जिला रीवा (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में **पत्थर खदान, एरिया 1.86 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 16615 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 53, 54, ग्राम गडरिया, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली** (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स राज स्टोन क्रेशर, श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी– ग्राम बरगवां, पोस्ट डागा, जिला सिंगरौली (म.प्र.),** को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स राज स्टोन क्रेशर, श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी– ग्राम बरगवां, पोस्ट डागा, जिला सिंगरौली (म.प्र.)** के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक **उदित इन्फ्रा वर्ल्ड प्रा.लि., निदेशक श्री मयंक राय, निवासी– व्हाईट हाउस, अर्जुन नगर रीवा जिला रीवा (म.प्र.)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. **उदित इन्फ्रा वर्ल्ड प्रा.लि., निदेशक श्री मयंक राय, निवासी– व्हाईट हाउस, अर्जुन नगर रीवा जिला रीवा (म.प्र.)** द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 6458/एसईआईएए/2015 दिनांक 19.10.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 739 दिनांक 07.03.2022 (लीज अवधि 15.02. 2026 तक मान्य) की प्रति।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 6458/एसईआईएए/2015 दिनांक 19.10.2015 के माध्यम से मेसर्स राज स्टोन क्रेशर, श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी– ग्राम बरगवां, पोस्ट डागा, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 1.86 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 16615 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 53, 54, ग्राम गडरिया, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक उदित इन्फ्रा वर्ल्ड प्रा.लि., निदेशक श्री मयंक राय, निवासी– व्हाईट हाउस, अर्जुन नगर रीवा जिला रीवा (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.10.2015 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

18. प्रकरण कमांक 9195/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक जैन आत्मज श्री शांतिलाल जैन, निवासी– स्टेशन रोड़, जिला शाजापुर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5700 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1508/2, ग्राम बरण्डवा, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, श्रीमती शोभा जैन पत्नि स्व. श्री अशोक जैन, निवासी– 68, स्टेशन रोड़ जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5700 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1508/2, ग्राम बरण्डवा, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक जैन आत्मज श्री शांतिलाल जैन, निवासी– स्टेशन रोड़, जिला शाजापुर (म.प्र.), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक जैन आत्मज श्री शांतिलाल जैन, निवासी– स्टेशन रोड़, जिला शाजापुर (म.प्र.) का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.05.2020 प्रस्तुत किया गया है।

II. श्रीमती शोभा जैन पत्नि स्व. श्री अशोक जैन, निवासी– 68, स्टेशन रोड़ जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. डीईआईएए/2016/1144 दिनांक 31.05.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण पत्र क्र. 1958 दिनांक 09.12.2020 की प्रति।

VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 4376 दिनांक 17.02.2021 की प्रति।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. डीईआईएए/2016/1144 दिनांक 31.05.2016 के माध्यम से श्री अशोक जैन आत्मज श्री शांतिलाल जैन, निवासी– स्टेशन रोड़, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5700 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1508/2, ग्राम बरण्डवा, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्रीमती शोभा जैन पत्नि स्व. श्री अशोक जैन, निवासी– 68, स्टेशन रोड़ जिला शाजापुर (म. प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31.05.2016 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेंगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

19. प्रकरण क्र. 7669/2020 : परियोजना प्रस्तावक मोहम्मद आसिफ खान आत्मज श्री अब्दुल खान, ग्राम बरखेड़ी टुण्डा, पोस्ट बरखेड़ी चौराहा, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 11930 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.17 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 198, ग्राम खोह, तहसील – रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 705वी बैठक दिनांक 21.02.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 682वी बैठक दिनांक 26.08.2021 में निर्णय लिया गया :–

..... The case was discussed in detail and as per recommendation of SEAC 503rd meeting dated 22.07.2021. It was decided to write a letter to Collector, Raisen for constitution of a committee of Mining & Revenue Officers for site inspection to verify the factual status as mentioned in the complaint raised by local villagers. The above committee shall submit a report through Collector, Raisen within 15 days.

परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित विभाग से चाही गई उपरोक्त जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः प्रकरण को डिलिस्ट किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 06.06.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण कमांक 9176/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार तोमर आत्मज श्री लाखनसिंह निवासी– नवोदय कॉलोनी, गोपालपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 728वी बैठक दिनांक 27.05.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार तोमर आत्मज श्री लाखनसिंह निवासी– नवोदय कॉलोनी, गोपालपुरा, जिला मुरैना (म.प्र), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

I. *पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार तोमर आत्मज श्री लाखनसिंह निवासी– नवोदय कॉलोनी, गोपालपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।*

II. *श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।*

III. *डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1604/डिया–डेक/2018–19 दिनांक 29.06.2018 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।*

IV. *NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।*

V. *नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।*

VI. *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 982 दिनांक 20.12.2019 (लीज अवधि 18.02.2028 तक मान्य) की प्रति।*

VII. *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा पत्र क्र. 516 दिनांक 25.03.2022 के माध्यम से बताया गया है कि उक्त लीज क्षेत्र में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश दिनांक 20.12.2019 से 02 वर्ष विलम्ब से पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन क्यों किया गया, इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से **SEIAA** द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को मान्य करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1604/डिया–डेक/2018–19 दिनांक 29.06.2018 के माध्यम से श्री राजकुमार तोमर आत्मज श्री लाखनसिंह निवासी– नवोदय कॉलोनी, गोपालपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29.06.2018 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेंगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

21. प्रकरण कमांक 9181/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र सिंह परमार आत्मज स्व. श्री धर्मसिंह परमार, निवासी–55/98, रजतपथ मानसरोवर जयपुर (राज.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.60 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 728वी बैठक दिनांक 27.05.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 1.60 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र सिंह परमार आत्मज स्व. श्री धर्मसिंह परमार, निवासी–55/98, रजतपथ मानसरोवर जयपुर (राज.), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र सिंह परमार आत्मज स्व. श्री धर्मसिंह परमार, निवासी–55/98, रजतपथ मानसरोवर जयपुर (राज.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1606/डिया–डेक/2018–19 दिनांक 29.06.2018 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 982 दिनांक 20.12.2019 (लीज अवधि 18.02.2028 तक मान्य) की प्रति।

VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा पत्र क्र. 518 दिनांक 25.03.2022 के माध्यम से बताया गया है कि उक्त लीज क्षेत्र में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश दिनांक 20.12.2019 से 02 वर्ष विलम्ब से पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन क्यों किया गया, इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से **SEIAA** द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को मान्य करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1606/डिया–डेक/2018–19 दिनांक 29.06.2018 के माध्यम से श्री सत्येन्द्र सिंह परमार आत्मज स्व. श्री धर्मसिंह परमार, निवासी–55/98, रजतपथ मानसरोवर जयपुर (राज.) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 1.60 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29.06.2018 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

22. प्रकरण कमांक 7997/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री सुधीर कुमार जैन आत्मज श्री सुदंर लाल जैन, निवासी नगर निगम के पीछे, जिला कटनी (म.प्र.) डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 37584 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 128, 129 130, 138, 139, 140, 141, 142पी, 143, 144, 145, रकबा 8.681 हेक्टेयर, ग्राम मलहान, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEIAA की 714वी बैठक दिनांक 24.03.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31.05.2022 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है :–

1. खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा लिखा गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक की अनुमति चाही गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से दोनो ओर प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये लिखा है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कच्ची सड़क को कार्यालय कलेक्टर द्वारा परिवर्तित किया जायेगा बताया गया है।

प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आवेदन के बिन्दु क्र. 1 एवं 2 के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निणर्य लिया गया कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्र. 2 एवं 4 को विलोपित कर इसके स्थान पर निम्नानुसार शर्त अधिरोपित की जाती है।

1. जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामवासियों को उनके आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाए जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप एवं SEAC की अनुशंसा के दृष्टिगत तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. 304/2019 में आदेशित कार्यवाही के परिपालन में खनन क्षेत्र से 200 मीटर तक नो माईनिंग जोन की परिधि में निर्धारित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों से प्रतिबंधित दूरी में नो माईनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

23. **प्रकरण कमांक 7947/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री नवल सिंह बघेल आत्मज श्री ललता प्रसाद बघेल, निवासी– हिबाला, पोस्ट मण्डला, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.) पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 9938 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3/1/ख, रकबा 1.60 हेक्टेयर, ग्राम बम्हनगॉव, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

SEIAA की 682वी बैठक दिनांक 26.08.2021 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 504वी बैठक दिनांक 23.07.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन (ई.आई.ए.) को निरस्त किया गया है।

The case was considered in 504th SEAC meeting dated 23.07.2021 & it was recorded that.....

- *Committee observed that as per approved mine plan blasting is proposed thus committee after deliberation decided that in the light of NGT order in O.A. no. 304/2019 dated 21.07.2020 (if blasting is proposed minimum distance shall be 200 meters) **this case cannot be considered for grant of EC being only 70 meters away from the habitations and as per approved mine plan blasting is proposed***

After detailed discussion, it was decided to accept the recommendation of SEAC that the case cannot be considered for grant of EC and this case is hereby rejected. Copy to PP and all concerned.

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक पत्र दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से माननीय एनजीटी के आदेश के परिपालन में नो ब्लास्टिंग प्रक्रिया के अंतर्गत संशोधित ई.आई.ए. रिपोर्ट मय संशोधित माईनिंग प्लान के साथ पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन को मान्य करने का अनुरोध किया गया है एवं परिवेश पोर्टल पर पुनः इसी प्रकरण में पर्यावणीय स्वीकृति हेतु नवीन ई.आई.ए. का आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अनुमति चाही गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण क्र. 7947/2020 पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नवीन ई.आई.ए. एवं पुनरीक्षित खनन योजना (सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) का परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करें तथा उक्त आवेदन को पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को प्रेषित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र. 7322/2020 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मंजू सिंह पत्नी श्री नरेंद्र बहादुर सिंह निवासी बाणहंगावं तहसील– रघुराजनगर जिला सतना द्वारा लेटेराईट खदान, उत्पादन क्षमता 18530 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.70 हेक्टेयर, खसरा 2पी, ग्राम बिहरा तहसील कोठार, जिला सतना (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEIAA की 722वी बैठक दिनांक 07.05.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय मुद्दों के दृष्टिगत निरस्त किया गया है।

SEAC की 566वी बैठक दिनांक 23.04.2022 की अनुशंसा तथा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

*SEAC की अनुशंसा अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम 120 मीटर पर पक्का रोड़ स्थित है, 110 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट, खदान के मध्य भाग से कच्चा रोड़ निकल रहा है साथ ही प्रस्तावित खदान के पश्चिमी भाग में 35 पेड़ लगे होना परिलक्षित है।*

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा एवं विचारविमर्श उपरांत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक पत्र दिनांक 28.05.2022 के माध्यम पर पुनः परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री आनंद गुप्ता द्वारा SEIAA समिति के समक्ष ऑनलाईन स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरण संवदेनशीलता को देखते हुए तथाप्रकरण से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन किया जाये।

25. **Case No 9116/2022:** Prior Environment Clearance for Construction of Proposed New Commercial Building "NRC Business Park" at Plot No 21, 139,MR-10,Super Corridor, Tehsil & Dist. Indore, (MP) Total Plot Area - 4500 sq.m, Total Proposed Built-up Area - 33079 sq.m by M/s Divy Hospitality Pvt. Ltd., Shri AnkeshGoyal, Owner, Plot No. 21, 139, Super Corridor, Dist. Indore, MP - 452010.

यह प्रकरण वाणिज्यिक भवन ''एनआरसी बिजनेस पार्क'' जिला– और तहसील इंदौर के एमआर–10, सुपर कॉरिडोर पर प्रस्तावित (कुल प्लॉट क्षेत्र – 4500 वर्ग मीटर, कुल प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र –

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

33,079 वर्ग मीटर) के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी का प्रकरण है। इस परियोजना में कुल कार्यालयों की संख्या–296 शोरूम– 11 और पार्किंग बेसमेंट की संख्या – 3 है।

- परियोजना ईआईए अधिसूचना 8(a) के अंतर्गत है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति(SEAC)की 567 वी बैठक दिनांक 29.04.2022 में उक्त प्रकरण को विशिष्ट एवं मानक शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृ.क्रं. 6 से 17 पर अंकित है।

प्रकरण को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 724वीं बैठक दिनांक 17.05.22 में शामिल करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया था।

"The case was considered in 567th SEAC meeting dated 29.04.22 and recommended for EC. After the recommendation of SEAC today the case was scheduled for consideration and noted that the project site is located adjacent to the MR-10, Super Corridor and building height proposed by PP is 39m. Hence it is decided to call PP along with environment consultant for clarification regarding provision of safety measures proposed in view of location of the site and high rise of the building."

1. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के निर्देशानुसार पर्यावरण सलाहकार श्री शुभम दुबे बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए। सलाहकार द्वारा प्राधिकरण के समक्ष स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित भवन *MR-10, Super Corridor* पर स्थित है। जिसका निर्माण भूमि विकास नियम–2012 के अनुरूप किया जावेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि इसके निर्माण के दौरान सभी प्रकार की सावधानियां परियोजना प्रस्तावक द्वारा रखी जावेंगी। जिसमें किसी भी प्रकार की जन–धन हानि नहीं होगी।
2. प्राधिकरण द्वारा पूछा गया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) में दिये गये प्रस्तुतिकरण में Front MOS, 12 मी0 बताया गया है जबकि भूमि विकास नियम–2012 के अनुसार यह उपयुक्त नहीं है। इस पर सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह टंकण त्रुटिवश हो गया हैं। वास्तविकता में प्रस्तावित Front MOS, 19.5 मी0 है। साथ ही सलाहकार द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदन के साथ संलग्न मानचित्रों में 19.5 मी0 Front MOS ही है। प्राधिकरण के निर्देशानुसार सलाहकार द्वारा इसे लिखित रूप में भी प्राधिकरण में जमा किया गया।
3. प्राधिकरण द्वारा यह भी पाया गया कि प्रस्तावित भवन में 3 बेसमेंट भी प्रस्तावित है। जिन्हें बनाने के पूर्व खुदाई कार्य किया जावेगा जिससे सुपर कॉरिडोर एवं अन्य संरचनाओं को क्षति पहुंच सकती है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित भवन की ऊचाई 39 मी0 की है जो कि भूमि विकास नियम–2012 के अनुसार उच्च ऊचाई वाला भवन है। भवन बनाने के पूर्व भूमि विकास नियम–2012 के नियम–12 के उपनियम–2 (क) की कंडिका के अनुसार निर्धारित बहुमंजिला भवन स्थल अनुमोदन समिति से स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
5. प्रस्तावित भवन में लिफ्ट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी हेतु अलग से किया जाना होगा एवं इस हेतु संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. प्रस्तावित भवन निर्माण में GRIHA Rating के मानकों का पालन किया जाना है।
7. भवन हेतु वैद्युत ऊर्जा की कुल खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाना है।
8. **प्रस्तावित कार्य स्थल की इंदौर स्थित हवाई अड्डा से दूरी 7.59 कि0मी0 है अतएव 39 मी0 की ऊचाई वाले भवन निर्माण के पूर्व आवश्यक अनापत्ति प्रमाण–पत्र एयरपोर्ट अथार्टी से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।**

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की** 574वी बैठक दिनांक 29 मई 2022 की **कार्यवाही विवरण,अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों** को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ **उपरोक्त बिंदु 1 से 8 को शर्तों में शामिल करते हुए परिशिष्ट–5 सहित परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दिव्य हॉस्पीटलिटी प्रा.लि., प्लाट नं. 21, 139, सुपर कॉरीडोर, जिला इन्दौर (म.प्र.) को पूर्व पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय भवन "NRC Business Park" प्लाट नं. 21, 139, एमआर–10, सुपर कॉरीडोर, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) कुल प्लाट एरिया 4500 वर्गमीटर, कुल प्रस्तावित बिल्टअप एरिया 33079 वर्गमीटर में भवन निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जाती है।**

26. **Case No. 7819/2020 :** Prior Environment Clearance for proposed project Manufacturing of Flavor, Fragrances, Antioxidants and Aromatic compounds (Synthetic Organic Chemicals and Chemical Intermediates) at Plot No.68-B, Industrial Area, Maksi, Shajapur Dist., Madhya Pradesh- 465106 Land area – 10564.62 sq.m. (1.05 ha) Production Capacity: 7710 MT/Yr.by Director, M/s Asterisk Chemicals Pvt. Ltd., 68B Industrial Area Maksi Dist- Sajapur (MP) -465106

प्रकरण परियोजना प्रस्तावक M/s Asterisk Chemicals Pvt. Ltd., 68B Industrial Area Makshi Dist- Shajapur (M.P.) को पत्र क्र. 7636/ SEIAA/21 दि0 25 मार्च, 2021 के माध्यम से जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है।

1. उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति में परियोजना प्रस्तावक को MEE एवं ATFD को स्थापित किये जाने के साथ स्वीकृति प्रदान की गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त ईमेल दिनांक 03 मई,2022 के द्वारा सूचित किया है कि वह MEE एवं ATFD के स्थान पर SEE और Centrifuge Separator स्थापित कर लिये है। साथ ही परियोजना प्रस्ताव द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि इसकी लागत लघु उद्योग को देखते हुए कम है साथ ही इनके कार्य करने की प्रकृति भी एक जैसी है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का गंभीरता से विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि यह विषय पूर्णतः तकनीकी प्रकृति एवं तकनीकी संशोधन से संबंधित है। अतएव परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन हेतु परिवेश पोर्टल पर "**पर्यावरण स्वीकृति संशोधन**" के अंतर्गत आवेदन करे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

27. **Case No 8996/2022** Prior Environment Clearance for Common Bio-medical Waste Treatment Facility at Khasra No. 74/4, 74/3, Village - Dumduma, Tehsil - Karera District - Shivpuri (MP) by M/s Medical Pollution Disposal Committee, Dr. Pranjal Patel, Plot No. 81C/1, 74/3, 74/4, Village - Dumduma, Tehsil - Karera District - Shivpuri, MP

प्रकरण को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 709वीं बैठक दिनांक 07 मार्च, 2022 में शामिल करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया था।

"Since the case is presently sub-judice (OA no. 20/2022), it would be appropriate to await the decisions of the Hon'ble NGT Central bench, Bhopal in this case. After detailed deliberations, SEIAA decided to defer the matter till final decisions in OA no. 20/2022 which is presently pending in the Hon'ble NGT Central bench, Bhopal."

उपरोक्त प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दि0 30 मई,2022 पर निम्नानुसार निर्णय दिया

"1. *Procedural violation of provisions of the Environmental (P) Act, 1986 was observed. CBWTF has been established on agricultural land without land diversion. The unit has not obtained environmental clearance which is mandatory under EIA Notification of S.O. 1142 (E) dated April 17, 2015.*

2. The Medical Pollution Disposal Committee submitted false information through affidavit in MPSEIAA that there was no construction on the site. It clearly indicates that the Medical Pollution Disposal Committee has violated the environmental and BMWM rules. ***Hence, NGT may direct MPSEIAA to take stringent action according to prevailing rules including levy of suitable financial penalty on the project proponent"***

उक्त प्रकरण को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण उल्लंघन का घोषित करते हुए प्राधिकरण को परियोजना प्रस्तावक पर अर्थदण्ड लगाने के निर्देश प्रदान किये है। प्राधिकरण द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के परिपालन में पूर्व में अनुशंसित ToR को निरस्त करते हुए म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्देशित कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2 के परिपालन में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1985 के अधीन निहित प्रावधान अनुसार परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध कार्यवाही एवं अर्थदण्ड का आंकलन करने हेतु पत्र से सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।

5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।

6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

25. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परिशिष्ट–5

1. The fresh water supply arrangement should be met through Municipal Corporation Gwaliorand there should no extraction of ground water.
2. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
3. Dual plumbing system to be provided for reuse of the treated effluent for flushing and other purposes.
4. Rain water will be harvested in the mined out area present at the project site.The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
5. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
6. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
7. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body & it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
8. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
9. **For firefighting:-**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC 2016.
b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

10. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

11. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

12. The proponent shall develop green belt in an area not less than 10% of plot area in addition to green belt in setback areas. The landscape planning should include plantation of native species.The existing trees counting for this purpose. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping..

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष